पत्रांक–2ब०/ना०सु०–03–06/2018 12 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक– 04/06/18

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2018–19 में नगर पंचायत, इस्लामपुर में नागरिक सुविधा मद के अन्तर्गत इस्लामपुर बस स्टैण्ड के विस्तारीकरण तथा उन्नयन कार्य हेतु ₹332.870 लाख (तीन करोड़ बत्तीस लाख सतासी हजार रु०) मात्र की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना के कार्यान्वयन हेतु तत्काल ₹166.435 लाख (एक करोड़ छियासठ लाख तैंतालीस हजार पाँच सौ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, इस्लामपुर के पत्रांक– 141, दिनांक– 19.03.2018 द्वारा इस्लामपुर बस स्टैंड के विस्तारीकरण की योजना का प्राक्कलन उपलब्ध कराते हुए स्वीकृति प्रदान करने एवं राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

2. विदित हो कि नगर पंचायत, इस्लामपुर में पूर्व से निर्मित, बस स्टैंड है, जो जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, इस्लामपुर के उक्त अनुरोध के आलोक में विभागीय अभियंताओं द्वारा उक्त बस स्टैंड का स्थल निरीक्षण करते हुए उसके विस्तारीकरण तथा उन्नयन कार्य की कार्य योजना तैयार किया गया है। उक्त कार्य योजना में आवश्यकतानुसार पहुँच पथ, नाला निर्माण, यात्री शेड, डिलक्स शौचालय आदि का प्रावधान किया गया है। उक्त योजना की तकनीकी अनुमोदन की राशि ₹332.870 लाख (तीन करोड़ बत्तीस लाख सतासी हजार रु०) मात्र है।

3. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, इस्लामपुर द्वारा किये गये अनुरोध एवं विभागीय अभियंताओं द्वारा तैयार किये गये कार्य योजना के आलोक में निम्न तालिका के स्तम्भ– 3 में अंकित योजना को स्तम्भ– 4 में अंकित कुल ₹332.870 लाख (तीन करोड़ बत्तीस लाख सतासी हजार रु०) के अनुरूप प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना के कार्यान्वयन हेतु तत्काल स्तम्भ– 5 के अनुरूप कुल ₹166.435 लाख (एक करोड़ छियासठ लाख तैंतालीस हजार पाँच सौ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् स्वीकृत की जाती हैः–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल स्वीकृत राशि	अवशेष राशि (4–5)
1	2	3	4	5	6
1	नगर पंचायत, इसलामपुर	इस्लामपुर बस स्टैंड का विस्तारीकरण तथा उन्नयन कार्य।	332.87	166.435	166.435

कुल स्वीकृत राशि ₹166.435 लाख (एक करोड़ छियासठ लाख तैंतालीस हजार पाँच सौ रु०) मात्र।

इसके लिए CFMS के माध्यम से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

4. योजना का कार्यान्वयन जिला शहरी विकास अभिकरण, नालंदा द्वारा किया जायेगा।

5. स्वीकृत कुल ₹166.435 लाख (एक करोड़ छियासठ लाख तैंतालीस हजार पाँच सौ रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, इस्लामपुर होंगे,** जिनके द्वारा संबंधित कोषागार से चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में राशि की निकासी की जाएगी। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.98 एवं पत्रांक– 354, दिनांक– 28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। राशि की निकासी कर कार्यकारी एजेंसी जिला शहरी विकास अभिकरण, नालंदा को अंतरित की जाएगी।

6. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम– 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 42 में राशि की निकासी की जायेगी। राशि की निकासी के बाद T.V. न० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रुप से अवगत कराया जाएगा। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 1496/ वि(2), दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा।

7. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

8. स्वीकृत कुल राशि ₹166.435 लाख (एक करोड़ छियासठ लाख तैंतालीस हजार पाँच सौ रु०) मात्र की निकासी उपबंधित मांग संख्या– 48 बजट शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष– 193–नगर पंचायतों–अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उप शीर्ष– 0104–नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें–सहायक अनुदान, विपत्र कोड– **48-2217031930104,** विषय शीर्ष– 0104.31.05 सहायक अनुदान– परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

9. नागरिक सुविधा मद के अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन राशि स्वीकृत की जाती है:–

(i) **योजना का कार्यान्वयन जिला शहरी विकास अभिकरण, नालंदा द्वारा किया जाएगा।**

(ii) जिला पदाधिकारी, नालंदा द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय–समय पर किया जाएगा।

(iii) स्वीकृत निधि की अधिसीमा के अन्तर्गत ही योजनाओं के अनुरूप सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्यान्वित करायी जायेगी। यह ध्यान में रखा जायेगा कि योजनाओं का डुप्लीकेशन न हो एवं पाँच वर्ष पूर्व से अबतक किसी भी एजेंसी से कोई कार्य नहीं कराया गया हो।

(iv) सभी योजना हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण–लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(v) **योजना का कार्यान्वयन ई–टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।**

10. राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही योजना के कार्यान्वयन का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवदेन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

11. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2) दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

12. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

13. योजना का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरूद्ध किया जायेगा, जिसके निमित्त राशि आवंटित की गई है।

14. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– 2ब०/ना०सु०–03–06/2018 के पृष्ठ सं०–11/टि० पर दिनांक–30.5.18 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–11/टि० पर दिनांक–31.5.18 को प्राप्त है।

15. इसकी सूचना आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, नालंदा/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत, इस्लामपुर/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

01.06.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/ना०सु०–03–06/2018 132 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–04/06/18

प्रतिलिपिः– आयुक्त पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, नालंदा/मुख्य अभियंता, बुडा/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, नालंदा/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, इस्लामपुर/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–2/7, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी०, प्रबंधक को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई0मेल करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.06.18

सरकार के विशेष सचिव।